

सेवामें,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

मिस्तौड़गढ़(राज.)

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम संशोधन के संबंध में।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

अनवान श्री रामलाल पिता/पति श्री किशना कुमावत
बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बस्ती

महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं अनवान में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी श्री रामलाल पिता/पति

किशना कुमावत निवासी आंवलहेड़ा का/की हूँ/हैं।

मेरे हमारे पटवार हल्का आंवलहेड़ा के राजस्व ग्राम आंवलहेड़ा में खाता संख्या 251
किता - 1 रकबा 0-02 है। भूमि दर्ज रेकार्ड है जिसमें मेरी/हमारी जाति/नाम रामलाल पुत्र किशना दर्ज है
जिसको मैं/हम सम्मानजनक रूप में रामलाल पुत्र किशना दर्ज करवाना चाहती हूँ/चाहता हूँ।

अतः मेरी/हमारी जाति/नाम रामलाल पुत्र किशना के बजाय रामलाल पुत्र किशना दर्ज करवाने की कृपा
करावे।

दिनांक 17/10/2025



हस्ताक्षर

प्रार्थी व अन्य

रिपोर्ट पटवारी हल्का आंवलहेड़ा

महोदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री रामलाल पिता/पति किशना कुमावत निवासी आंवलहेड़ा राजस्व ग्राम आंवलहेड़ा पटवार हल्का आंवलहेड़ा की जमाबन्दी में रामलाल की जमाबन्दी में रामलाल प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्मानजनक जाति/नाम के रूप में रामलाल पुत्र किशना दर्ज करवाना चाहता हूँ/चाहते हैं। दोनो जातियाँ एक ही श्रेणी की है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। हम इनकी पहचान एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

रामलाल
हस्ताक्षर पटवारी

आंवलहेड़ा

पटवार हल्का
तह. बस्ती (मिस्तौड़गढ़)

रामलाल
हस्ताक्षर भू.अ.नि.

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) बस्सी जिला चित्तौडगढ(राज.)

क्रमांक-भू.अ./2025/

दिनांक- 11 / 10 / 2025

प्रेषित

भीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री अमा पिता/पत्नि किशन कुमावत निवासी आवंलहिडा पटवार हल्का आवंलहिडा के राजस्व ग्राम आवंलहिडा में जनाचन्दी सन्त 2078-81 की खाता संख्या 251 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम आवंलहिडा पुत्र किशन किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम आवंलहिडा का अकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियां/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। रामलाल पुत्र किशन कुमावत

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है अतः जाति/नाम में संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार बस्सी

जिला चित्तौडगढ(राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ(राज.)

क्रमांक-रीडर/2025/607

दिनांक- 31 / 10 / 2025

निमित्त

पटवार हल्का आवंलहिडा

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री रामलाल पिता/पत्नि किशन कुमावत राजस्व ग्राम आवंलहिडा पटवार हल्का आवंलहिडा की खाता संख्या 251 में जाति/नाम आवंलहिडा पुत्र किशन दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान पटवार हल्का व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार बस्सी द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री रामा पिता/पत्नि किशन कुमावत की जाति/नाम रामलाल पुत्र किशन एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधन दर्ज करने की स्वीकृति एतद् द्वारा दी जाती है। पटवार हल्का आवंलहिडा राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:- तहसीलदार बस्सी पालना सुनिश्चित करे।